


# कार्यालय निदेशक प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

कार्यालय आदेश

खेलकूद नियमावली एवं प्रस्तावनुसार लिए गए निर्णय के तहत शिक्षा विभागीय खेलकूद प्रतियोगिताएं, साहित्य-सांस्कृतिक प्रतियोगिता आयोजन नियमावली एवं मार्गदर्शिका 2005 में उल्लेखित नियमों में निम्नानुसार संशोधन/परिवर्द्धन किया जाता है:-

| क्र.स. | विषय   | संशोधन/परिवर्द्धन  |            |
|--------|--|--------------------|------------|
|        |  | पूर्व निर्धारित दर | संशोधित दर |
| 01     | क्षेत्रीय/जिला/राज्य विद्यालय खेलकूद प्रतियोगिता प्रशिक्षण शिविर (राज्य प्रतियोगिता हेतु) एवं राष्ट्रीय प्रतियोगिता आयोज्य एवं प्रशिक्षण शिविर में खिलाड़ियों को वर्तमान में देय दैनिक भत्ता खुराक भत्ता प्रति खिलाड़ी प्रति दिन | 50/-               | 150/-      |
| 02     | जिला/राज्य स्तर पर विद्यार्थियों को खेल प्रतियोगिताओं में खेल गणवेश की अधिकतम राशि   | 150/-              | 1000/-     |
| 03     | राष्ट्रीय प्रतियोगिता अवधि एवं इस संबंधित यात्रा अवधि के दौरान खिलाड़ियों का देय दैनिक भत्ता/खुराक भत्ता प्रति खिलाड़ी प्रति दिन   | 200/-              | 250/-      |
| 04     | राष्ट्रीय प्रतियोगिता हेतु खिलाड़ियों को दी जाने वाली प्रति खिलाड़ी गणवेश राशि   | 1250/-             | 1500/-     |
| 05     | पंजीकरण शुल्क राष्ट्रीय विद्यालयों खेलकूद प्रतियोगिता में भाग लेने वाले राज्य के छात्र-छात्रा खिलाड़ियों का पंजीकरण शुल्क  | 130/-              | 200/-      |

उपरोक्तानुसार समस्त संशोधन/परिवर्द्धन एवं दरें सत्र 2019-20 से प्रभावी होंगे। शेष, नियम/निर्देश यथावत रहेंगे।




निदेशक,

प्रारंभिक शिक्षा विभाग एवं  
पंचायती राज(ग्रामशिक्षा) विभाग  
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक: शिविरा/प्रारं/खेकू/स्वाशि/7701(11)/142  
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

दिनांक: 08/08/2019

1. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
2. निदेशक, संस्कृत शिक्षा राजस्थान, जयपुर उपशासन सचिव, शिक्षा ग्रुप-6 विभाग, जयपुर
3. समस्त संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा विभाग
4. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) प्रारंभिक शिक्षा/माध्यमिक शिक्षा।
5. प्रधानाचार्य, शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय, जोधपुर।
6. प्रधानाचार्य, सार्वभौम स्पोर्ट्स स्कूल, बीकानेर।
7. निजी सचिव, निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा (निजी अनुभाग), बीकानेर।
8. विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
9. रक्षित पत्रावली।



उप-निदेशक,

प्रारंभिक शिक्षा विभाग  
राजस्थान, बीकानेर